संख्या:44/2023/104/35-4-2023/001-35-4099/28/2022

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 18 जनवरी, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-श्रावस्ती में शासनादेश सं0-83/2020/848/35-4-2020, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 02 कार्यों की रू. 3288.28 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू. 657.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्यों में से एक कार्य की लागत रू. 1894.53 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में रू. 378.91 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-192/2021/1715/35-4-2021, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 568.35 लाख तथा शासनादेश सं0-133/2022/384/35-4-2022/001-35/4099/28/2022, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 473.63 लाख एवं शासनादेश सं0-259/2022/927/35-4-2022/001-35/4099/28/2022, दिनांक 22 अगस्त, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 195.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा पत्रांक: 517/त्वरित आर्थिक विकास योजना/2020-21/2022-23, दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 द्वारा उक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना तथा कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होना इंगित करते हुए लागत की अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि की मांग की गई है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए जनपद की मांग के अनुसार रू. 94.72 लाख (रूपये चौरान्नबे लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पंचम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व मे अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
हरिहरपुर रानी पाण्डेय–इकौना (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 6.00 से 16.60 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1894.53	1616.69	94.72

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 एवं दिनांक 22 अगस्त, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 94,72,000 (रूपये चौरान्नबे लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:44/2023/104/35-4-2023/001-35-4099/28/2022 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी श्रावस्ती।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती।
13- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रावस्ती ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।